अति महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002

क्रमांक F 7–7/2015/XII   नया रायपुर, दिनांक   फरवरी, 2015
24 FEB 2015

प्रति,

(1) संचालक,
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
इन्द्रावती भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

(2) समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– लंबित खनिज रियायत (रिकॉनेसेन्स परमिट/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा) प्रकरणों का खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 10(A) के तहत निराकरण बाबत्।

–:–

भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करते हुए, The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015 जारी किया गया है, जो कि भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 12.01.2015 से प्रभावशील है।

2/ यह कि उपरोक्त अध्यादेश की धारा 10A(1) के अनुसार अध्यादेश जारी होने के पूर्व प्राप्त खनिज रियायत (रिकॉनेसेन्स परमिट/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा) के सभी आवेदन Ineligible हो जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :–

10A. (1) All applications received prior to the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015, shall become ineligible.

3/ यह कि उपरोक्त अध्यादेश की धारा 10(A)(2) के अनुसार अध्यादेश जारी होने के पश्चात् eligible आवेदनों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :–

10A. (2) Without prejudice to sub-section (1), the following shall remain eligible on and from the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015: —

(a) applications received under section 11A of this Act;

(b) where before the commencement of the said Ordinance a reconnaissance permit or prospecting licence has been granted in respect of any land for any mineral, the permit holder or the licensee shall have a right for obtaining a prospecting licence followed by a mining lease, or a mining lease, as the case may be, in respect of that

o/c   /2//

mineral in that land, if the State Government is satisfied that the permit holder or the licensee, as the case may be. -

(i) has undertaken reconnaissance operations or prospecting operations, as the case may be, to establish the existence of mineral contents in such land in accordance with such parameters as may be prescribed by the Central Government;

(ii) has not committed any breach of the terms and conditions of the reconnaissance permit or the prospecting licence;

(iii) has not become ineligible under the provisions of this Act; and

(iv) has not failed to apply for grant of prospecting licence or mining lease, as the case may be, within a period of three months after the expiry of reconnaissance permit or prospecting licence, as the case may be, or within such further period not exceeding six months as may be extended by the State Government;

(c) Where the Central Government has communicated previous approval as required under sub-section (1) of section 5 for grant of a mining lease, or if a letter of intent (by whatever name called) has been issued by the State Government to grant a mining lease, before the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015, the mining lease shall be granted subject to fulfilment of the conditions of the previous approval or of the letter of intent within a period of two years from the date of commencement of the said Ordinance:

Provided that in respect of any mineral specified in the First Schedule, no prospecting licence or mining lease shall be granted under clause (b) of this sub-section except with the previous approval of the Central Government.

4/ यह कि उपरोक्त पैरा–3 में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रचलित/लंबित आवेदनों को छोड़कर खनिज रियायत (रिकॉनेसेन्स परमिट/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा) की स्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे समस्त आवेदन, जो कि जिला कार्यालय, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म अथवा राज्य शासन स्तर पर लंबित (जिनमें राज्य शासन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी नहीं किये गये) हैं, उपरोक्त पैरा–2 में वर्णित The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015 की धारा 10A(1) के प्रावधानों के तहत Ineligible (अयोग्य) हो गये हैं।

5/ अतः उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015 की धारा 10A(1) के तहत Ineligible (अयोग्य) आवेदनों के संबध में राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्णय लेता है :–

5.1 रिकॉनेसेन्स परमिट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ऐसे समस्त आवेदन जो, जिला कार्यालय, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म अथवा राज्य शासन स्तर पर लंबित हैं, को निरस्त कर उन्हें नस्तीबद्ध किये जाते हैं।

5.2 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ऐसे आवेदन, जो रिकॉनेसेन्स परमिट के आधार पर प्रस्तुत किये गये हों, को छोड़कर जिला कार्यालय, संचालनालय भौमिकी तथा

//3//

खनिकर्म अथवा राज्य शासन स्तर पर लंबित शेष समस्त आवेदन निरस्त कर उन्हें नस्तीबद्ध किये जाते हैं।

5.3 खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ऐसे आवेदन, जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रस्तुत किये गये हों अथवा जिनमें राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सद्धांतिक निर्णय लिया जाकर तत्संबंध में पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया जा चुका हो, को छोड़कर जिला कार्यालय, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म अथवा राज्य शासन स्तर पर लंबित शेष समस्त आवेदन निरस्त कर उन्हें नस्तीबद्ध किये जाते हैं।

6/ उपरोक्तानुसार रिकॉनेसेन्स परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनिपट्टा के Ineligible (अयोग्य) हुए आवेदनों के आवेदनकर्ताओं को तदनुसार सूचित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0कमांक F 7–7 / 2015 / XII नया रायपुर, दिनांक फरवरी, 2015

24 FEB 2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, वन / आवास एवं पर्यावरण / राजस्व विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर, छत्तीसगढ़,
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधन) छत्तीसगढ़, रायपुर,
5. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर,
6. समस्त उप संचालक (खनिज प्रशासन) / खनि अधिकारी, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), छत्तीसगढ़,
7. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

o/c

D:\Amrit\AMR\Cat\New Cir Order-M.doc